दिनांक 03.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 459/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दनकौर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.09.2026 को थाना दनकौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रावली रोड़ तिराहे से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नईम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हापुड़, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना दनकौर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दनकौर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नईम निवासी मनिहारन वाली गली कस्बा व थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 03.09.2026 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त सोहेब को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.09.2026 को थाना बिसरख क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोहेब निवासी आनंद विहार कॉलोनी थाना मसूरी डासना कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना कुतुबशेर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 4,500 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 13.09.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर होजखेडी चौराहे पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राहुल 2–अंकित घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया एवं एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 4,500 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अंकित के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में लूट, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग, अभियुक्त राहुल के विरूद्ध

जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोबाइल फोन आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी ग्राम नगराजपुर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

2–अंकित निवासी ग्राम पहलवानपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लूट के 4,500 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद अयोध्या/थाना रौनाही

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 01 हजार 400 रूपये नगद**
- **06 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 03.09.2026 को थाना रौनाही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अलीगंज कट के पास से 05 अभियुक्तों 1–सर्वेश 2–राजकुमार उर्फ प्रधान 3–उमेश 4–सर्वजीत 5–अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 01 हजार 400 रूपये नगद, 06 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 01 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.08.2026 को थाना रौनाही क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सर्वेश, राजकुमार उर्फ प्रधान, उमेश, सर्वजीत के विरूद्ध जनपद अयोध्या के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06–06 अभियोग एवं अभियुक्त अजय कुमार के विरूद्ध जनपद अयोध्या, गोरखपुर, बलरामपुर, महराजगंज के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रौनाही पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सर्वेश निवासी ग्राम बहरवा थाना बिसवां जनपद सीतापुर, हालपता मड़ियाव थाना जानकीपुरम कमिश्नरेट लखनऊ।

2–राजकुमार उर्फ प्रधान निवासी मजगवां थाना हैदराबाद जनपद लखीमपुर खीरी।

3–उमेश निवासी मजगवां थाना हैदराबाद जनपद लखीमपुर खीरी।

4–सर्वजीत निवासी मकान संख्या 1169 इस्लामगंज, फिल्डगंज थाना डिविजन न0–02 जनपद लुधियाना पंजाब।

5–अजय कुमार निवासी दिलेजाकपुर थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–चोरी के 02 लाख 01 हजार 400 रूपये नगद।

2–06 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड।

3–01 कार आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना चिलकाना

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ 05 लाख 40 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 03.09.2026 को थाना चिलकाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फिरोजाबाद से अहाडी जाने वाले मार्ग से 03 अभियुक्तों 1–जीशान व दो अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ 05 लाख 40 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जीशान निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

2–दो अभियुक्ता।

बरामदगी

1–लगभग 02 करोड़ 05 लाख 40 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 20 ग्राम अवैध स्मैक।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/364/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दक्ष को आजीवन कारावास व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कानपुर देहात/थाना रसूलाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुन्दरनाथ को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कुशीनगर/थाना खड्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 71 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना खड्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अखिलेश को 10 वर्ष के कारावास व 71 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 03.09.2026
प्रेस विज्ञप्ति 460/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आगरा इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 03.09.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की आगरा इकाई** द्वारा संदीप सिंह निवासी मढेपुरा थाना बाह कमिश्नरेट आगरा से विद्युत चोरी का मुकदमा ना लिखवाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक संजय कुमार यादव के नेतृत्व में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र अभयपुरा बाह आगरा से **1-अवर अभियंता राजकुमार** पुत्र श्री कृपाल सिंह निवासी ग्राम ढ़िकौली थाना मवाना जनपद मेरठ **2-संविदा कर्मी आनन्द** पुत्र रामगोपाल निवासी कटारा मण्डी आगरा को **15 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

———————